

**समाहरणालय, मुंगेर।**  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,)

**आदेश**

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के आवंटन आदेश संख्या- 105 दिनांक- 15.01.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत (सामान्य घटक) के पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु मुंगेर जिले को मो0-40000000=00(चार करोड़) रूपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुए है, जिसे निम्न प्रकार से उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	उपावंटित राशि	अभि0
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर।	11200600=00	न0 नि0 सहित
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर।	5161200=00	न0परि0सहित
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर।	2896200=00	-
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा।	3126600=00	-
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर।	6548400=00	न0 पं0 सहित
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटिया-वम्बर।	2073000=00	-
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर।	3609600=00	-
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर।	2500800=00	-
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज।	2883600=00	-
	कुल :-	40000000=00	

(2) उक्त उपावंटित राशि से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत स्वीकृत पेंशनधारियों (सामान्य घटक) को 200/-दो सौ रूपये एवं 80 या उससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनधारियों को 500=00रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान हेतु राशि उपावंटित की जा रही है।

(3) उपावंटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लघु शीर्ष-101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उप शीर्ष-0101-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विषय शीर्ष 31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड सं0-P-2235031010101 तथा स्कीम कोड WEL-5498 से विकलनीय होगा।


(4) उक्त उपावंटित राशि वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 एवं 7729 दिनांक 26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं0-999 दिनांक 14.05.2013 एवं 1788 दिनांक 02.09.2013 के आलोक में पेंशनधारियों को पेंशन के नगद भुगतान हेतु शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(5) जिस मद में राशि उपावंटित की गयी है, उसे उसी मद में व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

(6) प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, जमालपुर एवं खड़गपुर को निदेशित किया जाता है कि उन्हें नगर निगम, नगर परिषद, एवं नगर पंचायत के इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनधारियों की भी राशि उपावंटित की जा रही है।

(7) उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उपावंटित राशि की निकासी कोषागार मुंगेर से करते हुए अपने प्रखंड अन्तर्गत एक दिन शिविर का आयोजन कर भुगतान करना सुनिश्चित करें साथ ही साथ शिविर की तिथि से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक...../सा0सु0को0, दिनांक.....

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- अन्तुमंडल पदाधिकारी, सदर/खड़गपुर/एवं तारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, नगर निगम मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपरिषद, जमालपुर/नगरपंचायत, खड़गपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

—

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक...36.../सा0सु0को0, दिनांक...29.11.14

- प्रतिलिपि :- NIC मुंगेर को सूचनार्थ एवं मुंगेर के वेवसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

—

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।